न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 69/2020 दायरा दिनांक : 09.11.2020

उनवान

रामप्रसाद आत्मज लक्ष्मी नारायण, जाति सुथार, निवासी ग्राम हेमडा, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– लक्ष्मी नारायण आत्मज भैरू लाल, जाति सुथार, निवासी ग्राम हेमडा, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़

2– हरिप्रसाद आत्मज लक्ष्मी नारायण, जाति सुथार, निवासी ग्राम हेमडा, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़

3– रामेश्वर आत्मज लक्ष्मी नारायण, जाति सुथार, निवासी ग्राम हेमडा, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सुनेल, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री दयाराम सैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 11.07.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 58/2020 निर्णय दिनांक 15.10.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का आंशिक स्वीकार करके यह आदेश पारित किया कि ग्राम हेमडा की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 168 रकबा 2.0361 हेक्टर को किसी प्रकार का बेचान, रहन, या खुर्द–बुर्द नहीं किया जावे एवं खाता संख्या 662 की शेष आराजी 7 किता की रकबा 6.5129 हेक्टर भूमि के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा समाप्त की जाती है । ग्राम हेमडा तहसील सुनेल, जिला झालावाड की जमाबंदी सम्वत 2072–2075 तक खाता संख्या 662 पुराना 578 में खसरा नम्बर 165 रकबा 0.1897 हेक्टर, खसरा नम्बर 168 रकबा 2.0361 हेक्टर, खसरा नम्बर 170 रकबा 4.2618 हेक्टर, खसरा नम्बर 689 रकबा 0.5059 हेक्टर, खसरा नम्बर 731 रकबा 0.4300 हेक्टर, खसरा नम्बर 732 रकबा 0.1897 हेक्टर, खसरा नम्बर 744 रकबा 0.5438 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 745 रकबा 0.3920 हेक्टर कुल 8 किता की 8.5490 हेक्टर आराजी स्थित है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स की पुश्तैनी आराजी है और अपीलांट रामप्रसाद रेस्पोडेंट नम्बर 1 लक्ष्मीनारायण का पुत्र होने से विवादित पेश्तैनी आराजी में उसका समान हक एवं हिस्सा प्राप्त करने का वैधानिक अधिकारी है। रेस्पोडेंट लक्ष्मीनारायण के अपीलांट्स रामप्रसाद एवं रेस्पोडेंट नम्बर 2 हरिप्रसाद एवं रेस्पोडेंट नम्बर 3 रामेश्वर पुत्रगण है। इस कारण से उक्त विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी होने से अपीलांट एंवं रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/4 हक व हिस्सा बनता है। जिसे अपीलांट रामप्रसाद प्राप्त करने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के द्वारा पुश्तैनी आराजी के सम्बन्ध में राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत करके प्राईमाफेसाई पुश्तैनी आराजी प्रमाणित कर दी थी उसके पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने अधिकारों से परे जाकर अपीलांट का उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा को गलत तौर पर खारिज करके कानूनी त्रुटि की है इस कारण

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

से अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित निर्णय हर तरह से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.10.2020 अपास्त की जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 2020 पेज 132 से 143, आर आर डी 2020 पेज 309 से 312 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.10.2020 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.10.2022 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/7/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा